भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 468

(दिनांक 23.07.2025 को उत्तर देने के लिए)

ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल

468. श्री इटेला राजेंदरः

श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः

श्रीमती डी. के. अरुणाः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने टीवी रेटिंग एजेंसियों के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है और टेलीविजन के दर्शकों के मापन हेतु पारिस्थितिकी तंत्र को लोकतांत्रिक और आधुनिक बनाने के लिए वर्तमान ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) के अलावा और अधिक कंपनियों को अनुमति देने हेतु मीडिया घरानों के लिए कुछ प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को हटाने का भी प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप विशेषज्ञों, हितधारकों, नियुक्त समितियों और कार्यबलों से अब तक प्राप्त विचार/प्राप्त सिफारिशें/उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विशेषज्ञों के क्या विचार हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) और (ख): सरकार ने टेलीविज़न दर्शक मापन प्रणाली में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। भारत में दिनांक 16.01.2024 के मौजूदा टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नीतिगत दिशानिर्देश के मसौदा संशोधनों को आम जनता से परामर्श के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

इन प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सक्षम करना, अधिक सटीक और प्रतिनिधि डेटा तैयार करना और यह सुनिश्चित करना है कि टीआरपी प्रणाली देशभर के दर्शकों की विविध और विकसित होती मीडिया उपभोग संबंधी आदतों को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करे।

*****